प्र.सं. 07/2020 जीसीएमएस सं. 2020/00105
रणवीर सिंह बनाम स्टेट
अन्तर्गत धारा 251क आर.टी.एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
27.07.2021	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप मे प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि चक 18 पीएस तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 24 प.नं. 166/282 के कि.नं. 25 में टयूबवेल लगा हुआ हैं। जिससे पत्थर लाईन पर उतरी दक्षिणी कोना से चिपता रकवा चक 17 पीएस के मु.नं. 26 प.नं. 165/283 के कि.नं. 1 में 3 फुट 6 ईंच गहरी पाईप लाईन प्रार्थी डालना चाहता हैं। प्रार्थी ने स्वयं के रकबा में से स्वयं के ही दूसरे चक के रकबा में डाली जाने वाली पाईप लाईन स्वीकृत कर तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु आदेशित करने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर से जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी। तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 135 दिनांक 03.02.2021 के अनुसार कि.नं. 25 में प्रार्थी का टयूबवैल लगा हुआ हैं। प्रार्थी 18 पीएस के मु.नं. 24 के कि.नं. 25 में टयूवेल से चक 17 पीएस के मु.नं. 26 के कि.नं. 1 में सिंचाई हेतु भूमिगत पाईपलाईन डालना चाहता हैं। प्रार्थी के खेत चक 18 पीएस के मु.नं. 24 कि.नं. 25 का पूर्वी दक्षिणी कोना व चक 17 पीएस के मु.नं. 26 कि.नं. 1 का उतरी पश्चिमी कोना एक दूसरे से चिपते हैं। जिसकी स्वीकृति नियमानुसार दी जानी उचित हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा अपने पत्रांक 417 दिनांक 12.03.2021 के द्वारा प्रार्थी की भूमि के चिपते काश्तकारान गुरमीत सिंह पुत्र सुखविन्द्र सिंह, महेन्द्र पत्नी गुरदयालराम, मंगतराम पुत्र गुरदयाल राम के सहमति शपथ पत्र प्रेषित किये हैं। बहस वकील प्रार्थी की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकृत कर प्रार्थी को अपने स्वयं के रकबा में से पाईपलाईन डालने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी अपनी भूमि में लगे टयूबवेल से अपने ही दूसरे चक की चिपती भूमि में पाईपलाईन डालना चाहता हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में पाईपलाईन डालने की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंषा की हैं। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रणवीर सिंह पुत्र सुखचैन सिंह जाति जटसिख साकिन 18 पी. एस. तहसील रायसिंहनगर को प्रार्थी की भूमि चक 18 पीएस के मु.नं. [illegible] कि.नं. 25 में लगे टयूबवेल से चक 17 [illegible] 26 [illegible] कि.नं. 1 सिंचाई हेतु भूमिगत पाईपलाईन [illegible] हैं। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले मे शुमार होकर दा[illegible] दफ्तर हो। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.09.10 15:24:12 IST
Reason: SelfAttested